

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/ 2175 दिनांक 26/6/2021

अधिसूचना


विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत रैणी (जिला अलवर) एवं ग्राम पंचायत डेरा , ग्राम पंचायत भूलेरी (जिला अलवर) के आंशिक राजस्व गाँवों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एवं जनसंख्या
01.	अलवर	रैणी	ग्राम पंचायत रैणी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम रैणी नांगल बास के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत डेरा के राजस्व ग्राम डेरा व हाथोज , ग्राम पंचायत भूलेरी के राजस्व ग्राम मुकन्दपुरा व जगमालपुरा को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या - 14, 857 (जनगणना 2011 के अनुसार)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रैणी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र, रैणी, नांगलबास तथा ग्राम पंचायत डेरा के राजस्व ग्राम डेरा व हाथोज , ग्राम पंचायत भूलेरी के राजस्व ग्राम मुकन्दपुरा व जगमालपुरा को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2021 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रैणी के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत डेरा के निर्वाचित सरपंच को उपाध्यक्ष तथा शेष सभी निर्वाचित वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो)डीएलबी/23/ 2175-2214 दिनांक : 26/6/2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर /जिला कलेक्टर अलवर (राजस्थान) ।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार /समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच /उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत रैणी , ग्राम पंचायत डेरा , ग्राम पंचायत भूलेंरी (अलवर) (राज.)।
16. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माश्रु)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी